E-TENDER NOTICE

TENDER DOCUMENT

FOR HIRING OF VEHICLE
ON RENTAL BASIS

Year: 2024 - 25

M. P. Pollution Control Board
E-5 Sector, Paryawaran Parisar, Arera Colony, Bhopal – 462016
PBX   : +91(0755) / 2466191
Web: **www.mppcb.mp.gov.in**
E. mail: **pur_mppcb15@rediffmail.com**

M. P. Pollution Control Board

E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal

Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)
(वाहन किराये पर हेतु निविदा)

1. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुख्यालय के अधिकारियों के समय–समय पर शासकीय भ्रमण हेतु विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट मॉडल एवं टेक्सी कोटा के अन्तर्गत वातानुकूलित वाहन मासिक/दैनिक दरों पर किराये पर लिए जाने हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं योग्य संस्थाओं/ट्रेवल एजेंसिओं से दो–कव्हर पद्धत्ति (तकनीकी एवं वित्तीय) के अनुसार ई–टेंडर पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्तुत की गयी दरें न्यूनतम एक वर्ष के लिए वैद्य होगी, जिसे सेवा की गुणवत्ता एवं कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर भविष्य में सामान दरों व शर्तों पर एक या अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

2. निम्नांकित तालिका में दर्शित तिथियों (क्रिटिकल तिथि तालिका) के अनुसार निविदा प्रपत्र को मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल http://www.mptenders.gov.in से डाउनलोड व जमा किया जा सकता है:

Description	Date	Time
Date of Publishing and Bid Document Download date	26.06.2024	03:00 PM
Bid Submission Start Date	01.07.2024	03:00 PM
Bid Submission End Date	24.07.2024	03:00 PM
Technical Bid Opening Date	29.07.2024	03:00 PM
Financial Bid Opening Date	Will be intimated later	

3. टेंडर प्रस्ताव जमा करने की टेंडर प्रपत्र मूल्य रूपए 1,000.00 (रूपए एक हज़ार मात्र) एवं धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपए 30,000.00 (रूपए तीस हज़ार मात्र) निर्धारित है, जिसे टेंडर जमा करने की समाप्ति तिथि के पूर्व या समाप्ति तिथि तक टेंडर पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। टेंडर प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) पोर्टल पर जमा करने के साक्ष्य प्रथम कवर (तकनीकी प्रस्ताव) के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। टेंडर प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) के अभाव में टेंडर निरस्त किया जावेगा।

4. निविदा प्रपत्र भौतिक रूप से विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होगा। निविदा से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गयी हैं। विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र हेतु मध्य प्रदेश शासन की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://www.mptenders.gov.in व बोर्ड की वेब साईट www.mppcb.mp.gov..in का अवलोकन करें। निविदा के संबंध मे किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित न होकर केवल वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेगा।

प्रभारी (क्रय)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

M. P. Pollution Control Board

E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal

Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

निविदा प्रपत्र

(वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा)

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालयीन कार्य हेतु लेटेस्ट मॉडल एवं टेक्सी कोटा के अन्तर्गत मासिक/दैनिक दर पर किराये पर 1100 सी.सी. (पेट्रोल/डीज़ल/सीएनजी चलित स्विफ्ट/औरा या समकक्ष), 1500 सी.सी. (पेट्रोल/डीज़ल चलित अर्टिगा/बोलेरो एनसीओ/एक्स एल 6/होंडा सिटी/सिआज़ या समकक्ष), 2000 सी.सी. (स्कार्पियो या समकक्ष) एवं 2000 सी.सी. के ऊपर (इनोवा क्रिस्टा/सफ़ारी या समकक्ष) के ए.सी. वाहन इत्यादि किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेंसियों/संस्थाओं से पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिये ताकि सेवायें सुगम और बिना किसी परेशानी के हो। विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र हेतु मध्य प्रदेश शासन की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://www.mptenders.gov.in व बोर्ड की वेब साईट www.mppcb.mp.gov..in का अवलोकन करें। निविदा के संबंध मे किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित न होकर केवल वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेगा।

निविदाकार ट्रेवल एजेंसी/संस्था की अनिवार्य अर्हताए :

1. फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन वाणिज्यिक परिवहन यान के रूप में दर्ज होना चाहिए तथा फर्म/संस्था का मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी. ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।
2. फर्म/संस्था का गत तीन वित्तीय वर्षों में टर्न ओवर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार रूपए पचास लाख से अधिक होना चाहिए। निविदाकार फर्म/संस्था सेवाकर जीएसटी हेतु पंजीकृत होना चाहिए। वैद्य सेवाकर/जीएसटी पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
3. निविदाकार फर्म/संस्था के नाम पर कम से कम 20 वाहन पंजीकृत हों। उन्हीं निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा, जिन ट्रेवल एजेंसिओं के स्वयं के वाहन पंजीकृत हों। सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस, परमिट, इन्शुरेंस की छायाप्रतियां तकनीकी प्रस्ताव (प्रथम कवर) के साथ संलग्न कार्य अनिवार्य है। उपलब्ध किराया वाहन टेक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी तथा किसी भी स्थिति में भुगतान जारी नहीं किया जावेगा।
4. फर्म/संस्था द्वारा उक्त वाहन को चलाने हेतु वाहन चालक भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वाहन चालक के पास कम से कम 3 वर्ष पुराना कमर्शियल वैद्य लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। वाहन चालक की चालन क्षमता, अच्छे चाल–चलन इत्यादि की जिम्मेदारी समबन्धित फर्म/संस्था की होगी। सफारी वर्दी यूनिफार्म होना चाहिए। वाहन चालक आपराधिक चरित्र का न हो तथा किसी नशे का आदि न हो। यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा। वाहन चालक के पास मोबाइल फ़ोन सदैव

उपलब्ध रहेगा। वाहन चालक के अनुपस्थित रहने की दशा में दूसरा वाहन चालक तत्काल वाहन प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

5. कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति और विगत वित्तीय वर्ष का भविष्य निधि तथा जी एस टी रिटर्न की छायाप्रति संलग्न की जावे।

6. किराये पर लगाए जाने वाले वाहन का पंजीयन तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए तथा सभी वाहन टैक्सी कोटे के होने चाहिए। वाहन यथा संभव जी.पी.एस. सुविधायुक्त हो।

7. एजेंसी/संस्था के पास संस्था/एजेंसी का वैध पंजीयन अथवा गुमास्ता लायसेन्स होना आवश्यक है। वैध पंजीयन/लायसेन्स की प्रति संलग्न करें।

8. एजेंसी के पास आयकर स्थायी खाता क्रमांक होना आवश्यक है। वैद्य पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें।

9. फर्म/संस्था किसी भी शासकीय विभाग में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में फर्म/संस्था को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. पोर्टल से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने के एवज में रुपये 1000/– (रु. एक हजार मात्र) एवं धरोहर राशि रुपये 30,000/– (रु. तीस हजार मात्र) मध्य प्रदेश शासन की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर आन–लाईन जमा करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क किसी भी रूप मे वापस नही किया जायेगा। निविदाकारों की धरोहर राशि सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात वापिस की जावेगी। उपरोक्त अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे।

निविदा के नियम एवं शर्ते :

1. किराये की अवधि में वाहन में ईंधन (पेट्रोल/डीजल/ऑईल), वाहन चालक सहित प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।
2. यात्रा के दौरान भोपाल के बाहर भी आवश्यकतानुसार वाहन ले जाया जायेगा। वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा की उपयोगकर्ता के अधिकारी के आदेश का पालन करें।
3. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियें के टायर–ट्यूब अच्छे होना चाहिये व माईलो मीटर चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
4. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगें। वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिये। किसी प्रकार की दुर्घटना एवं विवाद के निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं समस्त व्यय वहन करेगा। कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

5. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घण्टें में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
6. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
7. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. माईलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
9. वाहन प्रदायकर्ता को कार्यादेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा।
10. वाहन चालक को देय वेतन एवं अन्य खर्च वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा।
11. संस्था द्वारा शासकीय विभागों अर्ध शासकीय/केंद्र/राज्य शासन के विभाग/उपक्रम में पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव का प्रमाणपत्र उल्लेख करें। साक्ष्य के रूप में विगत गत पांच वर्षो में कम से कम तीन अनुबंध अथवा कार्यादेश की प्रतियां संलग्न करें।
12. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।
13. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
15. मान्य दरें आगामी दो वर्ष के लिये लागू रहेगी तथा इस हेतु निविदाकार द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से एक अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा यदि सेवायें संतोषप्रद रहती है तो अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के आदेशानुसार एग्रीमेंट दो साल के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
16. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी। देयक राशि पर शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। इस हेतु देयक के साथ जी.एस.टी. सहित जमा किये गये जी.एस.टी. का चालान व रिटर्न की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी। वाहन सेवा हेतु देय टोल, राज्य टेक्स, पार्किंग आदि का भुगतान देयक के साथ रसीद जमा करने पर किया जायेगा।
17. वाहन चालक को बोर्ड द्वारा निर्धारित यूनीफार्म वाहन प्रदाता द्वारा प्रदान किया जायेगा।
18. वाहन मासिक/दैनिक रूप से किराये में संबद्ध रहेंगे तथा इन्हें आवश्यकतानुसार मुख्यालय के बाहर भी भेजा जा सकता है। दैनिक किराये पर लिये जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन 80 किलोमीटर के हिसाब से लिया जावेगा। इससे अधिक वाहन चलाने पर अतिरिक्त किलोमीटर की दर से भुगतान किया जावेगा। इस हेतु पृथक से दरें दी जाना होगी।
19. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा । प्राप्ति दिनांक से 360 दिवस तक वैद्य होगी ।

20. सफल निविदाकार को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुबंध करना होगा तथा रुपये 30,000/– (रु. तीस हजार मात्र) की राशि का बेंक ड्राफ्ट, जो कि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में देय हो, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में जमा कराना होगा तथा जो कि अनुबंध अवधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बिना ब्याज के वापसी योग्य होगा।
21. वाहन किराये पर प्रदाय करने के लिए इस कार्यालय के आदेश जारी होने के पश्चात् आदेश प्राप्ति के सात दिवस के अंदर वाहन प्रदाता फर्म /संस्था को रूपए 500.00 (पांच सौ केवल) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध करना होगा। यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वहां उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा धरोहर राशि/सुरक्षानिधि राशि बोर्ड के पक्ष में राजसात की जावेगी।
22. वाहन प्रदाता फर्म/संस्था अथवा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर उक्त अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा। परन्तु वाहन की कार्य हेतु उपयुक्तता, सेवा की गुणवत्ता आदि को देखते हुए अनुबंध की अवधि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंध के पूर्व फर्म/संस्था को प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट नंबर प्रस्तुत करना होगा तथा यह अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगी कि फर्म/संस्था द्वारा वाहन चालकों के पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि नियमित रूप से उनके खाते में जमा कराई जाती रहेगी, अन्यथा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जावेगा। निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।
23. रात्रि में वाहन की पार्किंग का निर्णय पूर्णतः प्रभारी अधिकारी पर निर्भर होगा।

प्रभारी (क्रय)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

Procedure of submission of the Tender: Each bidders shall submit his offer in two covers. First cover shall contain scanned copies of proof for submitting earnest money and tender cost online on the portal, and other qualification documents. Offers without Tender Cost, earnest money and all required qualification documents as mentioned below, shall not be considered and the relevant cover (Financial Bid) will not be opened and their offer shall be treated as rejected. Second cover shall contain financial offer. The tender shall be submitted online in two covers as per following details:

(a) **First Cover (Technical Bid)** should contain scanned copy of proof for submitting requisite amount of Tender Cost (which is non refundable) and Earnest money [EMD] online. Insufficient amount furnished as earnest money and tender cost shall make the offer liable for rejection. The First Cover shall be opened as per the date schedule mentioned in the Notice Inviting Tender. The First cover must contain self verified scanned copies of the following documents:

1. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मध्यप्रदेश का वैध पंजीयन/लायसेन्स की प्रति।
2. वाहन लेटेस्ट मॉडल एवं टेक्सी कोटा के अन्तर्गत पंजीयन से सम्बंधित दस्तावेज।
3. संस्था/एजेंसी का वैध पंजीयन अथवा गुमास्ता पंजीयन/लायसेन्स की प्रति।
4. सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. का वैध पंजीयन की प्रति।
5. आयकर स्थायी खाता क्रमांक (पेन कार्ड) की प्रति।
6. कम से कम 20 नग वाहन उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत होने के साक्ष्य के रूप में पंजीकृत समस्त वाहनों को पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस परमिट इत्यादि समस्त दस्तावेजों की प्रति।
7. फर्म/संस्था किसी भी शासकीय विभाग में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में फर्म/संस्था को रूपए 50.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. संस्था द्वारा शासकीय विभागों अर्ध शासकीय/केंद्र/राज्य शासन के विभाग/उपक्रम में पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव का प्रमाणपत्र (गत पांच वर्षो में कम से कम तीन अनुबंध अथवा कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।)
9. वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा घोषणा पत्र अनुलग्नक–एक के अनुसार ।
10. वाहन किराये पर लेने हेतु तकनीकी प्रस्ताव अनुलग्नक–दो के अनुसार ।
11. The bidder shall also provide Bank Name, Account Name, Account Number, Account Type, Branch IFSC code for safer and easier payment transaction through RTGS/NEFT.

(b) **Second Cover (Financial Bid):** Offers received in due time shall be evaluated technically by a committee constituted by the Chairman, M. P. Pollution Control Board and as per the recommendation of committee, depending upon the credentials submitted in first cover, suitability of service with respect to offered credentials, application and performance, the financial

offer shall be opened, The opening of financial bids (Second cover) will be informed later. Schedule of Financial Bid is provided in the form of template (BoQ) in PDF format, along with this tender document. Bidders are advised to download this template in PDF format as it is and quote their offer/rates in the permitted column and submit same in the manner. In case if the same is found to be tempered/modified in any manner, tender will be completely rejected.

Instructions to the Bidders:

(i) The bidder shall submit their offer in accordance with this tender document.

(ii) No tender can be withdrawn after the deadline for online submission of tender and before expiry of the tender validity period. If a bidder withdraws the tender during this period, it will result in forfeiture of the earnest money furnished by the bidder in its tender.

(iii) The Purchaser will open Technical bids on-line on the prescribed date and time. In case the specified date of tender opening falls on / is subsequently declared a holiday ar closed day for the Purchaser, the tenders will be opened on the next working day.

(iv) Physical presence of the bidder at the time of opening of tender will not be essential in the e-tendering process. At the appointed time, the bid openers would open the bids online and the details of the technical bids offered by the bidders would be known to all on the portal.

(v) The first cover, i.e. Technical Bids will be opened on-line, first and evaluated by the Committee to assess that the goods and services offered are as per the technical specifications, fulfillment of necessary credentilas and relevant documents. The bids, which do not meet the basis requirements, are liable to be treated as non-responsive and rejected.

(vi) The Second Cover, i.e. Financial Bid of only technically qualified offers shall be opened online and evaluated.

(vii) The Purchaser reserves the right to accept in part or in full any tender or reject any tender without assigning any reason or to cancel the tendering process and reject all tenders at any time prior to award of contract, without incurring any liability, whatsoever to the affected Bidder or Bidders.

(viii) Separate evaluation of Bids received for each type of tendered equipment/ instrument will be carried out. Technical bids will be evaluated on the basis of information and data provided in the bids as well as the actual performance of the equipment/ instruments being offered. Technical bids of the Bidders, who fulfill qualification criteria laid down in the tender document, shall be evaluated first in terms of requirements/specifications given in the tender document. Clarification may be sought from the bidders against any shortfall information/document in the bid submitted by them as per the recommendation of evaluation committee.

(ix) If the details/data given in the technical bids are found in conformity with the technical specification prescribed in the tender document, testing of the models offered by the Bidders may be carried out by the Tender Evaluation Committee, if

required to ascertain the actual performance of the item/service. Bidder, will arrange, at his cost, the demonstration of the items.

(x) Financial Bids of the Bidders, whose technical bids are qualified, shall only be opened. The bidder (eligible for price offer opening) quoting the lowest rates shall be adjudged as L-1 and such rate will be deemed as the lowest rate to perform the services. In case of failure to comply with the provisions of the terms and conditions mentioned, by the agency that has been awarded the contract, the competent authority of the Board reserves the right to award the contract to the next Lower bidder (L-2) at (L-1) quoted rates. The next Lower bidder (L-2) (s) shall be asked to bring down its bid the L-1 level.

****

M. P. Pollution Control Board
E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal
Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

अनुलग्नक–एक

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

घोषणा पत्र

मैं .... मेसर्स...................................... के लिए/की ओर से घोषणा करता हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निविदा क्रं. .... दिनांक............. .... की समस्त शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है।
2. एजेंसी के चयन में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा हमें स्वीकार होगा।
3. हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रदान की गई समस्त जानकारी एवं अभिलेख सत्य एवं प्रमाणित है। हमारी फर्म/संस्था किसी भी शासकीय विभाग में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट नहीं है।
4. हमारे द्वारा उपलब्ध करवाईं गई जानकारी एवं अभिलेखों के बारे में अगर कोई पूछताछ की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. मेरे अथवा हमारे कोई भी नजदीकी रिश्तेदार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत नहीं है।

स्थानः निविदाकार के हस्ताक्षर
दिनांकः एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

M. P. Pollution Control Board
E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal
Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

अनुलग्नक–दो

वाहन किराये पर लेने हेतु तकनीकी प्रस्ताव (प्रथम कवर)

स.क्र.	वांछित विवरण	एजेंसी से संबंधित जानकारी
1	एजेंसी का नाम तथा संस्था का स्वरूप (प्रोपराईटरी / पार्टनरशिप फर्म / पब्लिक लि. कम्पनी / प्राईवेट लि. कम्पनी)	
2	एजेंसी का पता एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
3	मालिक / संचालन / पार्टनर / प्रोपराईटर का नाम एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
4	सम्पर्ककर्ता अधिकारी का नाम एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
5	एजेंसी की स्थापना का वर्ष एवं पंजीयन क्रमांक (पंजीयन की प्रति संलग्न करें)	
6	एजेंसी का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का पंजीयन / लायसेंस क्रमांक (पंजीयन / लायसेंस की प्रति संलग्न करें)	
7	कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति और विगत वित्तीय वर्ष का भविष्य निधि तथा जी एस टी रिटर्न की छायाप्रति	
8	सुरक्षा एजेंसी के सर्विस टैक्स / जी.एस.टी. का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन की प्रति तथा नवीनतम चालान की प्रति संलग्न करें)	
9	एजेंसी का आयकर– पैन नम्बर (पैन नम्बर की प्रति संलग्न करें)	
10	संस्था द्वारा शासकीय विभागों अर्ध शासकीय / केंद्र / राज्य शासन के विभाग / उपक्रम में पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव का प्रमाणपत्र (गत पांच वर्षों में कम से कम तीन अनुबंध अथवा कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।)	
11	एजेंसी के पास उपलब्ध उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहनों की संख्या कम से कम 20 वाहनों के पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस परमिट इत्यादि समस्त दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।	
12	किसी भी शासकीय विभाग में प्रतिबंधित / ब्लैक लिस्ट नहीं है। साक्ष्य के रूप में फर्म / संस्था को रूपए 50 / – के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र ।	
13.	एजेंसी का बेंक विवरण जैसे आर.टी.जी.एस. इत्यादि की जानकारी	
14	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण	
अ.	निविदा प्रपत्र का मूल्य – रूपये 1000 / –	पोर्टल पर आनलाईन जमा करने का विवरण
ब.	धरोहर राशि– रूपये 30,000 / –	पोर्टल पर आनलाईन जमा करने का विवरण

M. P. Pollution Control Board

E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal

Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

महत्वपूर्ण सूचनायें :–

1. निविदा प्रपत्र एवं तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व प्रमाणित होना चाहिए तथा तकनीकी प्रस्ताव में दर्शायें क्रम अनुसार प्रत्येक पेज पर पृष्ठ क्रमांक अंकित कर दस्तावेज को बाइंड कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. तकनीकी प्रस्ताव निविदा प्रपत्र के निर्धारित शर्तों के अनुसार तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. एजेंसी को इस आशय का एक नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही एवं सत्य है तथा एजेंसी को किसी भी शासकीय तथा अशासकीय संस्था द्वारा न तो अयोग्य पाया गया है अथवा घोषित किया गया है। भविष्य में कोई जानकारी यदि असत्य पाई जाती है तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निरस्त करते हुए धरोहर राशि/सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी।

स्थान — निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक — एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

M. P. Pollution Control Board

E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal

Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

अनुलग्नक–तीन

वाहन किराये पर लेने हेतु वित्तीय प्रस्ताव (द्वितीय कवर)

(ए.सी.) वाहन हेतु ईंधन सहित दर

विवरण	ए.सी. वाहन के प्रकार			
	1100 सी.सी. (पेट्रोल/डीज़ल/सी.एन.जी.) (स्विफ्ट/औरा या समकक्ष)	1500 सी.सी. (पेट्रोल/डीज़ल/सी.एन.जी.) (अर्टिगा/बोलेरो एनसीओ/एक्स एल 6/होंडा सिटी/सिआज़ या समकक्ष)	2000 सी.सी. (स्कार्पियो या समकक्ष)	2000 सी.सी. के ऊपर (इनोवा क्रिस्टा/सफ़ारी या समकक्ष)
	दी गई दरें (रूपये)			
भोपाल नगर निगम सीमान्तर्गत किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर छोड़ना/लाना/ले जाना				
4 घंटे 40 कि.मी.				
6 घंटे 60 कि.मी.				
8 घंटे 80 कि.मी.				
12 घंटे 80 कि.मी.				
प्रति कि.मी. अतिरिक्त रनिंग दरें				
प्रति घंटा अतिरिक्त किराया				
प्रतिदिन (24 घंटे) 250 कि.मी.				
रात्रिकालीन प्रभार				
प्रतिमाह 2000 कि.मी.				
2000 कि.मी. के अतिरिक्त रनिंग की दरें				

स्थान
दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

M. P. Pollution Control Board

E – 5, Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal

Phone: (0755) 2466191, Fax: (0755) 2463742, Email:pur_mppcb15@rediffmail.com Web:www.mppcb.nic.in

निविदा सूचना
चेक लिस्ट

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

स. क्र.	वांछित विवरण	हाँ / नहीं	पेज नं.
	प्रथम कव्हर (तकनीकी प्रस्ताव)		
1.	निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन–लाईन जमा करने का साक्ष्य		
2.	धरोहर राशि का मूल्य ऑन–लाईन जमा करने का साक्ष्य		
3.	एजेंसी की स्थापना का पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति		
4.	एजेंसी का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीयन / लायसेंस की छायाप्रति		
5.	सुरक्षा एजेंसी के सर्विस टैक्स / जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति		
6.	कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति और विगत वित्तीय वर्ष का भविष्य निधि तथा जी एस टी रिटर्न की छायाप्रति		
7.	एजेंसी का आयकर–पैन नम्बर कार्ड की छायाप्रति		
8.	अनुलग्नक–एक व दो		
9.	एजेंसी के पास उपलब्ध उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस परमिट इत्यादि दस्तावेजों की प्रति		
10.	संस्था द्वारा शासकीय विभागों अर्ध शासकीय / केंद्र / राज्य शासन के विभाग / उपक्रम में पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव का प्रमाणपत्र (गत पांच वर्षों में कम से कम तीन अनुबंध अथवा कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करना होगा।)		
11.	किसी भी शासकीय विभाग में प्रतिबंधित / ब्लैक लिस्ट नहीं है। साक्ष्य के रूप में फर्म / संस्था को रूपए 50 / – के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र ।		

****